(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 05/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/49

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

रामलाल पुत्र मदनलाल जाति धोबी निवासी इकलेरा जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 20.06.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रामलाल पुत्र मदनलाल जाति धोबी निवासी इकलेरा जिला बारॉ के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना बारां सदर जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्ध पुलिस थाना बारां सदर में वर्ष 2002 से 2018 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(04) एवं 307 आई.पी.सी.(01) के तहत दर्ज हुये है जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्ध 41/110 सीआरपीसी के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। [illegible] प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डे की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:36:32 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 09.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। गैरसायल के द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर, प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना बारां सदर जिला बाराँ में वर्ष 2002 से 2018 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(04) एवं 307 आई.पी.सी.(01) के तहत दर्ज हुये है जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा दौराने बहस कहा गया कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना बारां सदर में वर्ष 2002 से 2018 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(04) एवं 307 आई.पी.सी.(01) के तहत दर्ज हुये है जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। वर्तमान में कोई नया केस मेरे विरूद्व थाने में दर्ज नहीं हुआ है। मैं गरीब व्यक्ति हूँ। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना, बारां सदर जिला बाराँ द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसे खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना वर्ष 2002 से 2018 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(04) एवं 307 आई.पी.सी.(01) के तहत दर्ज हुये है जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि रामलाल पुत्र मदनलाल जाति धोबी निवासी इकलेरा जिला बारॉ द्वारा [illegible] जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभ[illegible]म[illegible]ा पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को सम[illegible] आपराधिक प्रक[illegible] न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:36:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल रामलाल पुत्र [illegible] निवासी इकलेरा जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, बारां सदर जिला बाराँ से 03 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल रामलाल पुत्र मदनलाल जाति धोबी निवासी इकलेरा जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना बारां सदर क्षेत्र से 03 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अन्ता जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 06.07.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर, जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना बारां सदर जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता, जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **20.06.2022** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:36:32 IST
Reason: SelfAttested